



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

11AA 874954

कोषागार, देहरादून
(उत्तराखण्ड)

प्रारूप-26

(नियम 4क देखिए)

- 2 JAN 2012

18, धर्मपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से

विवर्तित किया
कोड सं. 001


(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिए रिटर्निंग
आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र।

मैं प्रकाश सुमन ध्यानी पुत्र स्व0 श्री देवकी नन्दन ध्यानी आयु 58 वर्ष, जो
ब्राह्मणवाला पोस्ट- माजरा, देहरादून का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में
अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय
किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता
वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।
(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त हैं तो वह
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

-लागू नहीं



(Handwritten signature)

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....लागू नहीं
- (ii) पुलिस थाना (थाने).....जिला या जिले.....राज्य... लागू नहीं
- (iii) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कोई आरोपित किया गया है. लागू नहीं
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई. लागू नहीं
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे..... लागू नहीं
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं..... लागू नहीं

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाली अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिये सिद्धकोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं लागू नहीं
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है. लागू नहीं
- (iii) पुलिस थाना (थाने).....जिला (जिले).....राज्य..... लागू नहीं
- (iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियम) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) के लिये अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है..... लागू नहीं

ATTESTED

(Prem Chander Joshi)
Advocate/NOTARY
Distt.-Dehradun.



लागू नहीं

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.....

लागू नहीं

स्थान: देहरादून

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

तारीख:-09.01.2012

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूं कि इस शपथपत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

देहरादून स्थान पर आज तारीख 09.01.2012 को सत्यापित किया।



ATTESTED
(Prem Chander Joshi)
Advocate/NOTARY
Distt.-Dehradun.

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर